

22-5-28

पत्रावली प्रेषा हुई। प्रार्थी व प्रार्थी का
 अनुपस्थित। प्रार्थी व प्रार्थी का अधिकार को
 निपम अनुमान। तीन घण्टे का वापस लगावा है।
 परन्तु उपस्थित नहीं। का प्रार्थी का प्रार्थी
 पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 1219 प्रार्थी की कदम
 हाजरी व प्रार्थी की कदम पर्यी में खरिज
 किया जाता है। पत्रावली फाइनल शुभारंभ होकर
 गम्बर ले कम से दफ्तर दारिगत है।

22/5/28
 उपखण्ड अधिकारी
 मीलवाड़ा